श्री संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–11.09.2024 को विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ चेकडैम/वीयर योजना के डी०पी०आर० पर चर्चा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :

(i) प्रो० संजय कुमार, प्रोफेसर, NIT, पटना।

(ii) प्रो० पियुष सुमई, प्रोफेसर, NIT, पटना।

(iii) प्रो० अभिजीत वर्मन, प्रोफेसर, NIT, पटना।

(iv) श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।

(v) श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।

(vi) श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, यो०+अनु०+भूगर्भ, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

(vii) श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

(viii) श्री जगन्नाथ पासवान, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

(ix) श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग।

(x) श्री माधव कुमार पंडित, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग।

(xi) श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना।

(xii) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर।

(xiii) श्री सर्वेश कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर, भागलपुर।

(xiv) श्री अरविन्द कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया।

(xv) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल–गया, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, भागलपुर, बांका एवं मधुबनी।

2. सात निश्चय–2 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अंतर्गत कार्यान्वित सतही सिंचाई योजनांतर्गत इस वर्ष अभियान चलाकर 1963 सर्वेक्षित योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कराया गया है, जिसके अंतर्गत चेकडैम निर्माण योजना, आहर–पईन निर्माण योजना एवं उद्‌वह सिंचाई योजना क्रियान्वित होनी है (चेकडैम/वीयर की कुल 244 योजनाओं का डी०पी०आर० राशि 742.34 करोड़ की लागत का समर्पित किया गया है)।

3. बैठक में मुख्यतः विभिन्न लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा बनाए गए चेकडैम/वीयर योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी०पी०आर०) का अवलोकन NIT, पटना के उपस्थित प्रोफेसरों द्वारा किया गया। अवलोकनोपरांत डी०पी०आर० में पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु संरचना के रूपांकण में सुधार करने हेतु निम्नवत सुझाव दिए गए–

(i) संरचना का विस्तृत रूपांकण गणना संलग्न किया जाए।

(ii) रूपांकण आलेख्य में गणना के अनुरुप ही आँकड़ा प्रदर्शित किया जाए।

(iii) रूपांकण आलेख्य में अनावश्यक प्रावधान को हटाया जाए।

(iv) सभी संरचना निश्चित रूप से रूपांकण गणना पर आधारित हो।

4. सभी मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि उपरोक्त सुझावों के आलोक में डी०पी०आर० में आवश्यक संशोधन कर संशोधित डी०पी०आर० एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को भेजा जाए।

5. चेकडैम/वीयर के शेष बचे डी०पी०आर० के अवलोकन/समीक्षा हेतु अगली बैठक दिनांक–19.09.2024 को अप० 03:00 बजे राइडिंग रोड, पटना स्थित जल भवन के सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें सभी संबंधित भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक–../ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/प्रो० संजय कुमार, NIT, Patna/प्रो० अभिजीत वर्मन, NIT, Patna/प्रो० पियुष सुमई, NIT, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–991/सचिव (को०)/ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक–17/9/24

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता (योजना+स्थापना)/प्रभारी नलकूप कोषांग/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.9.24
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग